भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 983

02.12.2024 को उत्तर के लिए

देश में वन आवरण

983. श्री के. राधाकृष्णन :
श्री इमरान मसूद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में वन क्षेत्र का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वृक्षों के कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाता है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में वृक्षों के आच्छादन में हुई क्षति के कारण होने वाले कार्बन आइऑक्साइड उत्सर्जन का ब्यौरा क्या है,

(ग) भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और ग्लोबल फॉरेस्ट वाच डाटा के बीच विरोधाभासों का औचित्य क्या है; और

(घ) क्या सरकार की योजना मानित और सामुदायिक वनों से सुरक्षा हटाने के लिए हाल ही में किए गए संशोधन की गंभीर आलोचना को देखते हुए वन संरक्षण अधिनियम (1980) में पुन:संशोधन करने की है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, हर दो वर्ष में वन क्षेत्र का आकलन करता है। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। गत पांच वर्षों के दौरान देश में वन क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

आईएसएफआर 2017 के आकलन की तुलना में आईएसएफआर 2021 के आकलन के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में 7449 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चूंकि वन और वृक्ष क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है, इसलिए वन और वृक्ष क्षेत्र में कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा के बीच विरोधाभास इन दोनों रिपोर्टों में अपनाई गई वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र की परिभाषा में अंतर के कारण हो सकता है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को दिनांक 4 अगस्त, 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया और संशोधित प्रावधान दिनांक 1 दिसंबर, 2023 से प्रभावी हुए। इन संशोधनों को वनों के संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने, पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकास में सहयोग करने, पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, वनों से संबंधित सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने और कार्बन न्युट्रेलिटी को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू किया जा रहा है।

*****

अनुबंध

'देश में वन क्षेत्र' के संबंध में 02.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 983 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आईएसएफआर 2017 से आईएसएफआर 2021 तक वन क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	**भौगोलिक क्षेत्रफल**	**आईएसएफआर 2017**	**आईएसएफआर 2019**	**आईएसएफआर 2021**
आंध्रप्रदेश	1,62,968	28,147	29,137	29,784
अरूणाचल प्रदेश	83,743	66,964	66,688	66,431
असम	78,438	28,105	28,327	28,312
बिहार	94,163	7,299	7,306	7,381
छत्तीसगढ़	1,35,192	55,547	55,611	55,717
दिल्ली	1,483	192.41	195.44	195
गोवा	3,702	2,229	2,237	2,244
गुजरात	1,96,244	14,757	14,857	14,926
हरियाणा	44,212	1,588	1,602	1,603
हिमाचल प्रदेश	55,673	15,100	15,434	15,443
झारखंड	79,716	23,553	23,611	23,721
कर्नाटक	1,91,791	37,550	38,575	38,730
केरल	38,852	20,321	21,144	21,253
मध्य प्रदेश	3,08,252	77,414	77,482	77,493
महाराष्ट्र	3,07,713	50,682	50,778	50,798
मणिपुर	22,327	17,346	16,847	16,598
मेघालय	22,429	17,146	17,119	17,046
मिजोरम	21,081	18,186	18,006	17,820
नगालैंड	16,579	12,489	12,486	12,251
ओडिसा	1,55,707	51,345	51,619	52,156
पंजाब	50,362	1,837	1,849	1,847
राजस्थान	3,42,239	16,572	16,630	16,655
सिक्किम	7,096	3,344	3,342	3,341
तमिलनाडु	1,30,060	26,281	26,364	26,419
तेलंगाना	1,12,077	20,419	20,582	21,214
त्रिपुरा	10,486	7,726	7,726	7,722
उत्तर प्रदेश	2,40,928	14,679	14,806	14,818
उत्तराखंड	53,483	24,295	24,303	24,305
पश्चिम बंगाल	88,752	16,847	16,902	16,832
अंडमान एवं निकोवार द्विप	8,249	6,742	6,743	6,744
चंडीगढ	114	21.56	22.03	22.88
दादर एवंनगर हवेली और दमन एवं दीव	602	227.49	227.49	227.75
जम्मू और कश्मिर **	2,22,236	23,241	21358	21,287
लद्दाख			2,254	2,272
लक्षद्वीप	30	27.10	27.10	27.10
पुदुचेरी	490	53.67	52.41	53.30
सकल योग	**3,287,469**	**7,08,273**	**7,12,249**	**713,789**

**आईएसएफआर 2019 से जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू और कश्मीर एवंलद्दाख में विभाजित किया गया।